

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	ब	अप्रार्थी
बुधाराम पुत्र चौथूराम जाति जाट पलाड़ा	नी	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
	म	
राजस्व प्रार्थना-पत्र = अन्तर्गत धारा 136 R.L.Act1956 शुद्धि बाबत		
प्रार्थना-पत्र नम्बर 875/2021		GCMS No. 2021/ 1185
तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	
	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए	
28/11/2021	<p>प्रार्थीया बुधाराम पुत्र चौथूराम जाति जाट पलाड़ा द्वारा दिनांक 23.11.2021 को "प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत पलाड़ा में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर चालू जमाबन्दी नकल सम्बत 2073-2076 ग्राम पलाड़ा पटवार मण्डल पलाड़ा के खाता नम्बर 241 खसरा नम्बर 605, 606 का प्रस्तुत कर कथन किया है प्रार्थी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि अर्जुनराम पुत्र चौथूराम जाति जाट दर्ज है, जो अशुद्ध है।</p> <p>प्रार्थी का शुद्ध नाम बुधाराम पुत्र चौथूराम जाट तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. 008391200138 आधार नम्बर 294606956796 मतदाता पहचान पत्र ---- ----- अन्य दस्तावेज जन आधार कार्ड 4770272309 की छाया प्रति प्रस्तुत की है।</p> <p>इस संबंध में हल्का पटवारी पलाड़ा भू.अ.नि मण्डावरा एवं तहसीलदार कुचामनसिटी से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होने वादी का उपरोक्तानुसार सुनवाई कर नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है।</p> <p>प्रकरण का अवलोकन किया गया, राजस्व रेकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध किये जाने बाबत प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उसका नाम शुद्ध किया जा सके तथा उक्त अशुद्धि कब हुई उस राजस्व रेकार्ड की नकले इत्यादि भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है तथा प्रकरण धारा 136 R.L.Act1956 की श्रेणी में नहीं आता है, प्रार्थी नियमित वाद प्रस्तुत कर एवं आवश्यक दस्तावेजात इत्यादि की नकले प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तार रहे।</p>	
	<p>उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)</p>	